न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 22 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 20 2 2020

1—महेन्द्र पुत्र श्री राधेश्याम जाति धोबी आयु 30 वर्ष निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

2—शैतान पुत्र श्री राधेश्याम जाति धोबी आयु 30 वर्ष निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1— नायब तहसीलदार सोप जिला— टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14—10—2019 अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थिति :(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 23—12—2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14—10—2019 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.01 है0 बारानी प्रथम बगीचा व चरी, रकबा 1.25 है0 उड़द व खसरा नम्बर 2944 / 3408 रकबा 0.46 में बाजरा व खसरा नं0 3711 / 2943 रकबा 0.03 है में दुकानों का निर्माण कर कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम सोप पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 4084 / रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। जिसकी पालना में दिनांक 18—2—2020 को अपीलान्ट्स को थानाधिकारी सोप द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अपीलान्ट्स ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोरा[illegible] अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील[illegible] निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है [illegible] अपीलाण्ट्स को बिना सुने व

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करने में गलती की पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट्स के विरूद्ध कब्जे बावत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक का यह भी कथन है कि यह चरागाह भूमि नहीं है ओर इस खसरा नम्बर पर पूरे गॉव का अतिक्रमण है पूरा गॉव इस खसरा नम्बर पर बसा हुआ है इस भूमि पर ओर भी बाडे मकान आदि बने हुए हैं। अपीलान्टस ने वर्तमान में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जॉच किये एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट्स के विरूद्ध उक्त दण्डादेश पारित किया है। सजायाब किये जाने से पूर्व विधि अनुसार अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और ना ही अपीलान्ट्स को उक्त निर्णय की कोई जानकारी दी गई जिससे निर्णय विधि विरूद्ध है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित भूमि आराजी अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.01 है0 बारानी प्रथम बगीचा व चरी, रकबा 1.25 है0 उडद व खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 में बाजरा व खसरा नं0 3711/2943 रकबा 0.03 है0 में दुकानों का निर्माण कर कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम सोप पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। इस भूमि पर अपीलान्टस ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 99/18 दिनांक 15–11–2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय में भी शपथ पत्र पेश किया है कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है यदि अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं होता तो वह इस तरह का शपथ पत्र पेश नहीं करता अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया हे जिस पर अपीलान्ट्स की तामील हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम सोप की भूमि खसरा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3711 रकबा 0.01 है0 बारानी प्रथम बगीचा व चरी, रकबा 1.25 है0 उड़द व खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 में बाजरा व खसरा नं0 3711/2943 रकबा 0.03 है0 में दुकानों का निर्माण कर कुल रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम सोप पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था। जिस पर पत्रावली सं0 99/2018 दिनांक 15–11–2018 के द्वारा धारा 91 में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को विवादित कब्जे की भूमि से बेदखल कर फसल को जब्त राज करने के आदेश दिये थे अपीलान्ट्स को उक्त आदेश की पालना में पटवारी व गिरदावर द्वारा बेदखल किया गया था। अतः अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित होता है। जहॉ अपीलान्ट्स को साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर नहीं देने का प्रश्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तो इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का मौका दिया गया है ओर अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है। अपीलान्ट महेन्द्र द्वारा दिनांक 2–3–2020 को न्यायालय में शपथ–पत्र पेश किया था जिसमें अंकित किया था कि आराजी खसरा नम्बर 3711/2943 व खसरा नम्बर 2944/3408 की कुल भूमि 3.21 है0 पर से भौतिक रूप से अपना कब्जा हटा दिया है ओर विवादित परिसर में बनी हुई दुकानों से अपना कब्जा छोड़ दिया है। राज्य सरकार चाहे तो पक्के निर्माण को राजसात कर सकती है। शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की जॉच करवाने पर नायब तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 436/राजस्व दिनांक 28–2–2020 से रिपोर्ट भिजवाई कि अपीलान्ट्स का शपथ–पत्र सही नहीं पाया गया तथा मौके पर अपीलान्ट्स का अभी भी कब्जा बना हुआ है। अभिभाषक अपीलान्ट्स के पुनः आग्रह पर फिर से नायब तहसीलदार सोप से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसकी जांच करवाने पर नायब तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 733/राजस्व दिनांक 24–7–2020 से रिपोर्ट भिजवाई कि अपीलान्ट्स ने भूमि खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम सोप पर महेन्द्र, शेतान पिसरान राधेश्याम धोबी सा0 सोप ने अतिक्रमण कर रखा था वर्तमान में भी मौके पर दुकानें बगीचा व शेष भूमि पर उड़द की फसल बो रखी है अतिक्रमण वर्तमान में भी यथावत है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयन नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 14–10–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner